

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

.....बनाम
 किस्म मुकदमा मु. नं० वर्ष.....
 शोति देवी महावीर
 20 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
27.9.25	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलत को पूर्व पेशी पर हंदायत दी गई थी। आगामी तिथि से पूर्व तारीख से रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलत ने रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तृतीय तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प बुन्दन)</p>	